# विज्ञप्ति संख्या–1

**संख्या : 1100 / उ0आ0वि0 / भर्ती / विज्ञप्ति / 2021–22**

**दिनांकः 22 जुलाई, 2021**

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसरों में **गैर–शैक्षणिक / चिकित्सालय संवर्ग** के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरे जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर भरकर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम **तिथि–16.08.2021 की अपरान्हः 5:00 बजे तक** है।

**संवर्गवार विज्ञापित पदों का आरक्षणानुसार विवरण व योग्यतायें निम्नवत् हैः–**

| पद कोड | पदनाम | संख्या | वेतनमान | आरक्षण की स्थिति | शैक्षिक अर्हता / योग्यता |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **उपचिकित्सा अधीक्षक** | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –7600 | 01 अनुसूचित जाति,<br>02 अनारक्षित, | **अनिवार्य अर्हता**<br>1. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि<br>1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम की अनुसुचियों में सम्मिलित विषय कायचिकित्सा / शल्य / शालाक्य / बालरोग / स्त्री एवं प्रसुति तंत्र में स्नातकोत्तर उपाधि।<br>2. संबंधित विषय में कुल 10 वर्षो का शिक्षण / चिकित्सालय प्रशासन में अनुभव।<br>**अधिमानी अर्हता**<br>1. संबंधित विषय में पीएच्0डी0 की उपाधि<br>2. मान्यता प्राप्त जर्नल में शोध पत्रों का प्रकाशन। |
| 02 | **मेडिकल स्पेशलिस्ट** (एम.डी. जनरल मेडिसीन) | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति,<br>02 अनारक्षित, | (पद कोड 02 से 09 तक)<br>1. भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 उपाधि।<br>2. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (एम0डी0 / एम0एस0) उपाधि।<br>3. अभ्यर्थी का राज्य भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है। |
| 03 | **सर्जिकल स्पेशलिस्ट** (एम.एस.सर्जरी) | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति,<br>02 अनारक्षित, | |
| 04 | **गायनेकोलॉजिस्ट** (एम.एस. गायनेकोलॉजी) | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति,<br>02 अनारक्षित, | |
| 05 | **एनेस्थेटिस्ट** (एम.डी. एनेस्थेसिया) | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति,<br>02 अनारक्षित, | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | **ऑफ्थेलमोलॉजिस्ट** (एम.एस. ऑफ्थेलमोलॉजी) | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित, | |
| 07 | **पीडियाट्रिशीयन** (एम.डी. पीडियाट्रिक्स) | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित, | |
| 08 | **रेडियोलॉजिस्ट** (एम.डी. रेडियोलॉजी) | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित, | |
| 09 | **पैथोलॉजिस्ट** (एम.डी. पैथोलॉजी) | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित, | |
| 10 | **डेन्टिस्ट** | **03** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित, | 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दन्त चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बी0डी0एस0)<br>2. अभ्यर्थी को राज्य भारतीय दन्त परिषद् में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।<br>3. स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। |
| 11 | **लेखाधिकारी*** | **01** | 15600–39100 ग्रेडवेतन –5400 | 01 अनारक्षित | 1. CA अथवा ICWA उत्तीर्ण अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम की उपाधि के साथ एम.बीए./एम.बीएफ/पीजी.डी.एम./पीजी. डीबीएफ।<br>2. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में समकक्ष सेवा में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। |
| 12 | **सहायक लेखाधिकारी*** | **01** | 9300–34800 ग्रेडवेतन –4600 | 01 अनारक्षित | 1. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम की उपाधि।<br>2. बी0बी0ए0/बी0बी0एफ0/ग्रेजुएट डिप्लोमा/डिग्री इन फाइनेंश एण्ड एकाउन्टिग।<br>3. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में समकक्ष सेवा में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव। |

**नोट :–**

1. संबंधित पदों पर आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति के अनुरूप लागू होगा। पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई, बढ़ाई अथवा सम्पूर्ण विज्ञप्ति/आंशिक विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है, तद्नुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। **इस सम्बंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार उत्तर योग्य नहीं होगा।**
2. उपरोक्तानुसार कार्यवाही के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
3. *उक्त तारांकित पदों (पदकोड–11 व 12) से सम्बन्धित पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति, संख्याः 2864/उ.आ.वि./भर्ती/विज्ञप्ति/2020–21 (विज्ञप्ति संख्या–2) दिनांकः 19 जनवरी 2021 को निरस्त किया गया है, परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से पूर्व में आवेदन किया हुआ है; उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है। परन्तु वर्तमान विज्ञप्ति के अनुरुप अपना आवेदन अपडेट करने की छूट होगी। यदि वे पुनः नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो पुनः आवेदन शुल्क का बैंक ड्रॉफ्ट भी संलग्न करना होगा।
4. विज्ञापित पद पर पदवार आवेदन पत्रों की आवश्यकतानुसार शॉर्टलिस्टिंग/लिखित/स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type multiple choice) की होगी जो 400 अंको की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिये 04 अंक दिये

जायेगें तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 01 अंक दिया जायेगा। प्रश्नपत्र में 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा 80 प्रश्न पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों से पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होगें।

5. चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतन एवं भत्ते आदि देय होंगे।

6. **आयुः**– पद कोड संख्या 01 से 09 तक के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तथा पद कोड संख्या 10 से 12 तक के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

7. **अनापत्ति प्रमाण–पत्रः**– जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. **वैवाहिक परिस्थितिः**– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

9. **शुल्कः**– अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो ***वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून*** के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना होगा, **यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा।** यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

| क्र0सं0 | श्रेणी | शुल्क प्रतिपद |
|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (सामान्य) | रू0 1000/– मात्र |
| 2. | उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) | रू0 1000/– मात्र |
| 3. | उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0) | रू0 500/– मात्र |
| 4. | उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) | रू0 500/– मात्र |

10. **राष्ट्रीयता** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः–

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो, परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो; परन्तु

यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

11. **चरित्रः**– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी** :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में विज्ञप्ति निरस्त कर सकता है। इस विज्ञापन में किये गये परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन अथवा दावा मान्य नहीं होगा।
13. अभ्यर्थीगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उपयोग में ला सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर ही अभ्यर्थी अपना आवेदन (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित प्रतियों सहित) ***कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला परिसर, देहरादून– 248001*** के नाम **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 16.08.2021 की अपरान्ह 05:00 बजे तक** प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार होंगे। प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा 03 लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त किसी **अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।** तथा उक्तानुसार निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में संबंन्धित पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा/प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें/अद्यतन जानकारियां मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी, किसी अन्य माध्यम से नहीं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
16. यदि कोई भी अभ्यर्थी अनैतिक माध्यम से परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को सम्पर्क स्थापित करता है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा

**कुलसचिव**